बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :बु0वि0/एके0/2022/6166 दिनांक : 05.01.2022

कार्यालय–ज्ञाप

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में प्रवेश/पाठ्यक्रम/परीक्षा आयोजन सम्बन्धी दिशा–निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरूप निर्मित न्यूनतम समान पाठ्यक्र (Common Minimum Syllabus) शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. लखनऊ दिनांक 13 जुलाई 2021 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी के माननीय कुलपति द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रस्तावित तथा समय–समय पर विभागाध्यक्षों एवं संकायाध्यक्षों की बैठकों में लिए गए निर्णयों, गठित समितियों की संस्तुतियों के क्रम में **दिनांक 30/12/2021 को आहूत विद्या परिषद के विनिश्चयों पर दिनांक 31/12/21 को आहूत कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन के** उपरान्त शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी,परीक्षा आयोजन तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के संदर्भ में प्रथम/मानक दिशा–निर्देश (Guidelines) प्रेषित किये जा रहें है।

- पाठ्यक्रम समितियों (B.O.S) के चरणबद्ध बैठकों में तैयार किये गये पाठ्यक्रम को विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त स्नातक स्तर (बी0ए0, बी.एस–सी,बी0कॉम) पाठ्यक्रमों का अध्यादेश, प्रश्नपत्र का प्रारूप, विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। (https://www.bujhansi.ac.in/pdf/NEP/NEP_syllabus/ORDINANCE.pdf)
- माइनर–1 इलैक्टिव, माइनर–2 (स्किल डेवलपमेन्ट/वोकेशनल) तथा माइनर–3 (Co-Curricular) विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
- मेजर –1,2,3 विषय ओर माइनर–1 इलैक्टिव विषय की लिखित परीक्षाएं (Subjective Mode) सम्पन्न होगी।
- अन्य विषयों– माइनर–2 (स्किल डेवलपमेन्ट/वोकेशनल), माइनर–3 (Co-Curricular) की परीक्षायें बहुविकल्पीय (एम0सी0क्यू0) पद्धति पर आयोजित कारायी जायेगी।
- स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष (सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय) एवं द्वितीय वर्ष (सेमेस्टर तृतीय एवं चतुर्थ) के विषयों की एक–एक प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न होगी।
- स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष (सेमेस्टर पंचम एवं छठवें) में मेजर–1 एवं मेजर –2 विषयों में दो–दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न होगी, जबकि शेष अन्य विषयों के एक–एक प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न होगी।

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंको के होगें, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल/ग्रेड में परिवर्तित कर लिया जायेगा। सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। सतत आन्तरिक मूल्यांकन सम्बन्धी कार्ययोजना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत लिखित परीक्षाओं से पूर्व सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (मिड टर्म परीक्षा) सम्पन्न करा ली जायेंगी। सतत् आन्तरिक मूल्यांक ही मिड टर्म परीक्षा के रुप में परिभाषित है। यह परीक्षा महाविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर सम्पन्न करायी जायेंगी। इस परीक्षा के लिये प्रत्येक विषय/ प्रश्नपत्र में 25 अंक निर्धारित है। इससे सम्बन्धित दिशा निर्देश बेवसाइट पर उपलब्ध है।

1. **पाठ्यक्रम लागू करने की समय–सारणी :–**
   - **(a)** तीन विषयों वाले समस्त त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी.एस–सी आदि) व बी. कॉम में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।
   - **(b)** यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine,Dental,etc) एवं तकनीकी शिक्षा(B.Tech, M.C.A. etc) आदि संकायों पर लागू नहीं होगी।
   - **(c)** विधि (बी.ए.एल.एल.बी., एल.एल.बी.), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., बी.पी.एड. एम.पी.एड. आदि) के लिए व्यवस्था निर्धारिण उनकी नियामक संस्थाओं के राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप नय पाठ्यक्रम व संरचना निर्माण के पश्चात ही किया जाएगा।

2. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम :–** एक वर्ष पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पर स्नातक उपाधि प्रदान की जायेगी।

3. **संकाय** – संकाय विषयों का समूह है यथा–कला, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय आदि।

4. **विषय :–**
   - (a) यथा– हिन्दी, संस्कृत, गणित, समजाशास्त्र आदि।
   - (b) एक विषय एक ही संकाय में सूचीवद्ध होगा।

5. **पेपर/प्रश्नपत्र** –
   - (a) एक विषय के विभिन्न सैद्धान्तिक/प्रयोगात्मक पेपर को प्रश्नपत्र (Paper)कहा जाएगा, जिनका एक कोड निर्धारित होगा।
   - (b) सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक, प्रश्नपत्रों (paper) के कोड अलग–अलग होंगे।
   - (c) प्रश्नपत्रों के स्वरूप का निर्धारण B.O.S.द्वारा किया जायेगा जो विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त ही लागू होगा।

6. **प्रवेश व्यवस्था** :–
   - (a) अभ्यर्थी को स्नातक में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। जिसका आवंटन प्रवेश परीक्षा के प्राप्ताकों, विश्वविद्यालय के उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा।
   - (b) अभ्यर्थी द्वारा चयनित संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय (Own Faculty) होगा तथा अपने संकाय (Own Faculty) से उसे दो मुख्य विषयों (Major Subject) का चयन करना होगा। प्रवेश के पश्चात् विद्यार्थी तीन वर्ष (प्रथम से छटवें सेमेस्टर) तक मुख्य विषयों का अध्ययन कर सकेगा।
   - (c) तीसरे मुख्य विषय का चुनाव अभ्यर्थी को अपने संकाय (Own Faculty) से करना होगा। तीसरे मुख्य विषय का अध्ययन विद्यार्थी को दो वर्ष (प्रथम 4 सेमेस्टर) तक करना है।

(d) तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण प्रश्नपत्र (Miner-1 elective) का चयन कर अध्ययन करना होगा। गौण प्रश्नपत्र (Miner-1 elective) का चुनाव अभ्यर्थी किसी भी अन्य संकाय से कर सकता है। जिसकी सूची विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड है।

(e) स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय वर्ष में माइनर–1 इलेक्टिव विषय (एक प्रश्नपत्र प्रति वर्ष विषम सेमेस्टर) लेना होगा।

(f) बहु विषयकता (Multi-displinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर–1 इलैक्टिव प्रश्नपत्र प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी भी चौथे विषय (अभ्यर्थी द्वारा चयनित तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से चयनित करना होगा।

(g) तीसरे मुख्य विषय (Major subject) तथा माइनर–1 इलैक्टिव (Minor-1 elective) प्रश्नपत्र का चयन अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय (Own Faculty) के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।

(h) चयनित माइनर–1 इलैक्टिव पेपर की कक्षाएँ संकाय (Faculty) में संचालित होंगी तथा उसकी परीक्षा भी अलग से होगी।

(i) माइनर–1 इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का प्रश्नपत्र होगा न कि पूर्ण विषय।

(j) स्नातक में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों के प्रत्येक सेमेस्टर से (चारों सेमेस्टर) में 03 क्रेडिट के एक माइनर विषय (कौशल विकास/व्यवसायिक पाठ्यक्रम) (3x4+12 क्रेडिट) का भी अध्ययन करना होगा। विषयों की सूची विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर उपलब्ध है।

(k) माइनर–2 (कौशल विकास/व्यावसायिक पाठ्यक्रम) का चयन विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों में से उपलब्ध सीटों के आधार पर ही करना होगा।

(l) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक माइनर–3 सह–पाठ्यक्रम (Co-Curricular) पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इन छः सह–पाठ्यक्रमों के सिलेबस (Syllabus) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट और विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर उपलब्ध है।

(m) शासन के निर्देशानुसार सभी माइनर–3 सह–पाठ्यक्रमों (Co-Curricular) को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी की ग्रेडशीट पर सह–पाठ्यक्रमों के ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए.(C.G.P.A) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. **कक्षाओं हेतु समय–सारिणी–**

(a) विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व समय–सारिणी (Time-Table) तैयार कर ली जाएगी, ताकि प्रवेश के समय अभ्यर्थी अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समयपर संचालित होती हो। इसके माध्यम से कक्षाओं के ओवरलैपिंग की समस्या को न्यूनतम किया जा सकता है।

(b) समय सारिणी (Time-Table) इस प्रकार तैयार की जाएगी कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने का अधिकतम विकल्प हो।

8. **लघुशोध परियोजना –**

(a) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पाँचवें व छठवें सेमेस्टर) में लघुशोध परियोजना पूर्ण करनी होगी।

(b) लघुशोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी।

9. **पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश प्रक्रिया –**

(a) विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट (Certificate) के साथ निकास (exit) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) के साथ निकास (exit) की अनुमति होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक (Vocational/Skill Development) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(b) विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही स्नातक उपाधि प्राप्त होगी।

(c) विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

10. **क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण –**

(a) सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13–15 घंटे का शिक्षण करना होगा।

(b) प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26–30 घंटे का प्रयोगात्मक/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि करना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में सैद्धांतिक के एक घंटे का कार्यभार प्रयोगात्मक/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

(c) विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

(d) एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्रेडिट उपयोग कर लिये माने जायेंगे अर्थात उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि–क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष में 92 (46–46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्ष के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर स्नातक उपाधि ले सकता है।

(e) यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित से कम समय में स्नातक उपाधि के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु स्नातक उपाधि तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(f) द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे न कि डिप्लोमा की क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रडिट प्राप्त करने होगें।

(g) यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा–112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर लॉफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों ही में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला, मानविकी व समाज विज्ञान संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

(h) यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि–क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

11. <u>उपस्थिति व परीक्षा –</u>

(a) क्रेडिट वेलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

(b) परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(c) छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता है तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

12. **उत्तर प्रदेश शासनादेशों के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि सभी संकायों पर लागू होंगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है :–**

(a) स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।

(b) द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित क्रेडिट के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

(c) तृतीय वर्ष तक 132 संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

(d) आवश्यकतानुसार प्रवेश निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी।

(e) स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में माइनर–2 (कौशल–विकास/व्यावसायिक) से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जारी किये जायेंगे।

13. **माइनर–3 : अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular)-**

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-Curricular)- के अध्ययन–अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा।

(a) प्रथम सेमेस्टरः खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)

(b) द्वितीय सेमेस्टरः प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Fiorst Aid and Health)

(c) तृतीय सेमेस्टरः माव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

(d) चतुर्थ सेमेस्टरः शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)

(e) पंचम सेमेस्टरः विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytical Ability and Digital awareness)

(f) षष्ठ सेमेस्टरः संचार, कौशल एवं व्यक्तिगत विकास (Communication Skill and Personality)

(g) स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन–अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/संकायाध्यक्षो/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5.Jan.22

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (कला/विज्ञान/वाणिज्य)
2. प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
3. समस्त सहायक कुलसचिव।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों की कॉलेज लागइन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. आशुलिपिक (वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक)।

कुलसचिव